न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 19 / 2009

वादी :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. मांगीलाल पुत्र भूराराम जाति सिरवी निवासी शिवपुरा तह0 सोजत जिला पाली राज0।	1.	रूबान मोहम्मद पुत्र गफूर खां
	2.	जब्बार खां उर्फ अ0रमजान पुत्र गफूर खां जातिगण मुसलमान धोबी नि0 शिवपुरा
	3.	नेमाराम
	4.	वेनाराम पि0 भूराराम
	5.	पुखा पुत्र पन्ना जातिगण सीरवी निवासी शिवपुरा तह0 सोजत जिला पाली।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री ताराचंद टांक अधिवक्ता वादी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 06/03/2025

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा शिवपुरा की राजस्व सीमा में स्थित पुराने ख.नं. 613 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा की कृषि भूमि वादी की पूर्वजों से कब्जा एवं काश्त की चली आ रही है। यह कृषि भूमि गत 50 वर्षों से एक ही चक में स्थित है। वादी तथा प्रतिवादी सं. 3—4 के दादा तथा 5 के पिता स्व. पन्नारामजी के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त में रही, जो भाईबंट में वादी के हिस्से व कब्जे काश्त में रही। वर्ष 1971 में मी0नं0 1407 / 71 के तहत वादी के पूर्वज स्व. पन्ना जी के नाम नियमन हुई, जो जमाबन्दी 2029 से 32 प्रदर्श—1 से प्रमाणित है। इस प्रकार सम्पूर्ण कृषि भूमि जो एक ही चक वादी के कब्जे काश्त में पूर्वजों के समय से बहैसियत खातेदार काश्तकार के चली आ रही है। पुराना ख.नं. 613 एक ही चक में रहा जो ट्रेस नक्शा—2 से प्रमाणित है। उक्त पुराने ख.नं0 613 के नये नम्बर 1090 रकबा 3.76 है० किस्म बा0दो0 कायम हुए, मगर सैटलमेंट के दौरान भू—प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश डिक्री या वैधानिक विक्रय पत्र के गलत रूप से इसके क्षेत्रफल में कटौती कर इसका एक अलग ख. नं. 1090 / 1716 रकबा 2.06 है० कायम कर दिये। खसरा पत्रक के अन्तिम कॉलम में नोट दर्ज कर नियमन मी. नं. 1407 / 71 क्रमांक 15 के अनुसार वादी के पूर्वज के नाम मात्र 1.70 है० भूमि ही रखी जो पूर्णतः गलत एवं बेबुनियाद है। हकीकत में ख.नं. 1090 का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 3.76 है० है, जो आज भी एक ही चक में वादी के कब्जे काश्त में है, जो अपने पर्वों के समय ते बिना किसी हस्तक्षेप व्यवधान के चला आ रहा है। खसरा पत्र प्रदर्श—3 में इस सम्पूर्ण भूमि पर वादी के पूर्वजों की बाजरी फसल होना स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में इसका अलग नम्बर कर इसे प्रतिवादी नं. 1—2 की माता छोटी बेवा गफूरखां धोबी मुसलमान के नाम किस आधार पर किया गया यह स्वयं ही सन्देहप्रद है। सेटलमेंट सर्वे के दौरान भूमापक काफी अरसे तक शिवपुरा कैम्प लगा कर रहे, इस दौरान मु. छोटी बेवा गफुर खां धोबी मुसलमान नामक औरत उनके मुफ्त कपड़े धोती, सेवा चाकरी करती थी, इससे

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

प्रसन्न होकर तोफा रूवरूप पर्चा खतौनी में वादस्थ कृषि भूमि ख.नं. 1090 के क्षेत्रफल में कटौती करते हुए उसका बट्टा नम्बर 1090/1716 रकबा 2.06 है० की भूमि उसके नाम कर दी, जो भू–आवंटन संवत् 2030 के लिफ्ट क्रमांक 30 के अनुसार दर्ज करना अंकित कर किया गया। यह नोट बिल्कुल ही गलत, बिना किसी आधार प्रभाव के लगाया गया इस बाबत् मौके पर न तो भौतिक सत्यापन किया गया न नियमानुसार पर्चा बयान नोट किया न ही ऐसे आदेश की प्रति रेकर्ड पर ली गयी । मात्र इस गलत इन्द्राज के आधार पर छोटी देवी के नाम पर्चा लगान संख्या 409 जारी हो गया जो पर्चा खतौनी प्रदर्श–5 में अंकित है। यह इन्द्राज खसरा पत्रक के आधार पर किया गया जो प्रदर्श–6 है। जो पूर्णतः गलत–बेबुनियाद, आधारहीन है। मु० छोटी देवी अथवा उसकी मृत्यु बाद उनके वारिसान प्रतिवादी नं. 1–2 के पास यह भूमि कभी उनके कब्जे काश्त में नहीं रही न उन्हें दी गयी न उन्होनें कभी इसे देखा। सिर्फ गलत अंकन के आधार पर वादी को वादस्थ कृषि भूमि के वैध अधिकार से वंचित कर दिया गया। खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 7 संवत् 2029 से 2032 खसरा परिवर्तनशील 2027 प्रदर्श–8, संवत्–2029 प्रदर्श–9 तथा जमाबंदी 2029 से 2032 प्रदर्श–10 प्रदर्श–11 है। मगर सेटलमेंट के बाद वादस्थ कृषि भूमि ख.नं. 1090/1716 रकथा 2.06 हेक्टर मुस्मात छोटी के नाम खातेदारी में अंकित होने से उसकी मृत्यु के लम्बी अवधि बाद प्रतिवादी 1–2 की नियत, वादस्थ भूमि पर से वादी को जबरन बेदखल कर, नाजायज कब्जा की हो गयी। वादस्थ भूमि ख.नं. 1090/1716 रकबा 2.06 है0 मुस्मात छोटी बेवा गफुर खां के नाम की, जमाबंदी प्रदर्श–12 तथा वादी के नाम की खातेदारी भूमि ख.नं. 1090 रकबा 1.70 है0, प्रदर्श–13 हैं। वादी ने जब पूर्व रेकर्ड तथा जिसके आधार पर मु० छोटी का नाम राजस्व रेकर्ड पर दर्ज किया के दस्तावेजात की जानकारी की तो उसे वास्तविकता की जानकारी हुई कि मु० छोटी को संवत् 2030 मैं कभी कोई भूमि आवंटित नहीं की गयी न कोई ऐसा आदेश ही पत्रावली पर मौजूद पाया न किसी प्रकार के कब्जे की प्रक्रिया ही अपनाई गयी। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन आदेश की प्रतिलिपि की मांग पर श्रीमान के कार्यालय से यह स्पष्ट पुष्ठांकन कर सूचित कर दिया गया कि आवंटन/नियमन रजिस्टरों में क्र.सं. 30 पर छोटी का नाम अंकित नहीं है। प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति प्रदर्श–14 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादस्थ कृषि भूमि पुराने ख.नं. 613 रकबा 23/17 बीघा जिसके नये नम्बर 1090 रकबा 3.76 है० कायम हुए है एक ही चक में वादी के पूर्वजों से बहैसियत खातेदार के कब्जे काश्त में है। इसका ख.नं. सेटलमेंट आपरेशन के बाद मात्र कागजों के बिना भौतिक सत्यापन के गलत रूप से विभाजित किया जाकर नया नम्बर 1090/1716 रकबा 2.06 है० कायम कर दिया और अब इस गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी नं. 1–2 वादी को खातेदार न मानते हुए उसे जबरदस्ती बेदखल कर नाजायज कब्जा करने पर उतारू है, जिसका कि उन्हे कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार राजस्व वाद प्रस्तुत कर माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी कि सरहद मौजा शिवपुरा तहसील सोजत में स्थित पुराने ख.नं. 613 रकबा 23/17 बीघा जिसके नये नम्बर 1090 रकबा 1.70 है० एवं खसरा नम्बर 1090/1716 रकबा 2.06 है० कायम हुए है का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा निषेधाज्ञा की डिग्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

सं. 1–2 के इस आशय की जारी की जावें कि वह वादी की उक्त खातेदारी भूमि पुराने ख. नं. 613 रकबा 23/17 थी के कब्जे काश्त में न तो दखलंदाजी करे न करावे न ही इस पर विधि विरुद्ध का नाजायज कब्जा करने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 की ओर से ईकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी का वाद माफिक ईश्तदुआ डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 01 रउफ व 02 अब्दुल रहमान पि0 गफ्फुर खां जाति धोबी मुसलमान निवासी ग्राम शिवपुरा हाल हनुमानजी की भाखरी, तेलीयों की मदरसा के पास, जोधपुर की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम शिवपुरा में अवश्य स्थित है, परन्तु वर्तमान खसरा नंबर 1090/1716 की कृषि भूमि हम प्रतिवादीगण की कब्जाकाश्त व खातेदारी की है, शेष तमाम तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादीगण ने अपने वाद के शीर्षक में प्रतिवादीगण संख्या 1 का नाम रूबान मोहम्मद एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का नाम जबारखां उर्फ अब्दुल रमजान लिखा है, जो नाम भी वादीगण ने गलत अंकित किये है, स्वर्गीय गफ्फुरखां के पुत्र हम प्रतिवादीगण है। वादी द्वारा बिल्कुल ही झूठा तथा गलत तथ्यों के आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया हैं। हम प्रतिवादीगण की माता मु. छोटी बेवा गफ्फुरखां को आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत् प्रक्रिया को अपनाते हुए भूमिहीन होने के आधार पर सम्वत् 2030 में आवंटित की थी तथा उसी वक्त मौके पर हम प्रतिवादीगण के माता छोटी को आवंटितसुदा भूमि का कब्जा सुपूर्द किया था, तब से निरन्तर आज दिन तक हम प्रतिवादीगण की माता छोटी के जीवनकाल में छोटी का तथा उसके मरणोपरान्त हम प्रतिवादीगण का बिना किसी बाधा व रूकावट के शान्तिपूर्वक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादी हम प्रतिवादीगण की कृषि भूमि को येनकेन प्रकारेण साम, दाम, दण्ड, भेद के आधार पर हथियाना चाहता है, इसलिए जब हम प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त कृषि भूमि बेचने से मना कर दिया तो वादी ने उक्त झुठा वाद पत्र गलत तथ्यों को आधार बनाकर हमें परेशान करने करने की बदिनयती से पेश किया है। उक्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार हम प्रतिवादीगण की माता छोटी के नाम होने की जानकारी वादी को आवंटन के वक्त से ही है, यदि नक्शे में खसरा नंबर 1090/1716 तरमीम नहीं है, तो यह गलती राजस्व अधिकारीयों की है। मौके पर तो खसरा नंबर 1090/1716 अलग से विभाजीत है। शेष तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार होना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है, इसलिए पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर वाद काबिल निरस्ती के है। वादी को दिनांक 25.01.2009 को बेदखली की धमकी दिया जाना तथ्य गलत होने से अस्वीकार है, वादीगण को कोई बिनाय दावा कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए उक्त वाद बिनाय दावा के अभाव में भी खारीज किये जाने योग्य है। इस प्रकार जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी का वाद सव्यय खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

दिनांक 08.02.2011 तथा 28.01.2014 को वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जबाब दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई–

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

01. आया वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के पूर्वजों के समय से बहैशियत खातेदार काश्तकार चली आ रही है। (जिम्मे वादी)

02. आया सरहद मौजा शिवपुरा में स्थित पुराने ख.नं. 613 रकबा 23/17 बीघा के नये ख.नं. 1090 रकबा 3.76 है0 किस्म बा0दो0 कायम हुये। (जिम्मे वादी)

03. आया भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दौराने सैटलमेंट ख.नं. 1090 रकबा 3.76 है0 की गई कटौती एवं कायम अलग ख.नं. 1090/1716 रकबा 2.06 है0 विधि विरूद्ध हैं। (जिम्मे वादी)

04. आया वादी को प्रतिवादी सं0 1, 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार हैं। (जिम्मे वादी)

05. अनुतोष। (जिम्मे वादी)

अधिवक्ता वादी द्वारा शहादत वादी में तस्दीकसुदा शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 वादी मांगीलाल, पी0डब्ल्यू0 2 दुर्गादेवी, पी0डब्ल्यू0 3 नारायणलाल, पी0डब्ल्यू0 4 हरीराम, पी0डब्ल्यू0 5 प्रेमसिंह, पी0डब्ल्यू0 6 बाबुलाल का पेश किया एवं बयान कलमबद्ध करवाये जाकर दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सरहद मौजा शिवपुरा की जमाबंदी के ख.नं. 613 सम्वत् 2029–32 की प्रमाणित प्रति पेश की, जो प्रदर्श–1 हैं। ख.नं. 613 का ट्रेस नक्शा की प्रमाणित प्रति. प्रदर्श–2 हैं। ख.नं. 1090 का ट्रेस नक्शा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3 हैं। सरहद मौजा शिवपुरा की जमाबंदी के ख.नं. 1090 सम्वत् 2063–66 की प्रमाणित प्रति पेश की, जो प्रदर्श–4 हैं। सरहद मौजा शिवपुरा की जमाबंदी के ख.नं. 1090/1716 सम्वत् 2063–66 की प्रमाणित प्रति पेश की, जो प्रदर्श–4ए हैं। सैटलमेंट विभाग का खसरा मिलान/पत्रक प्रदर्श–5, 5ए, 6, 6ए है, जमाबंदी सम्वत् 2029–32 प्रदर्श–7 हैं। खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2027 प्रदर्श–8 व 9 हैं। जमाबंदी सम्वत् 2029–32, प्रदर्श–10 हैं। खसरा गिरदावरी प्रदर्श–11 हैं। सैटलमेंट विभाग की खतौनी जमाबंदी सम्वत् 2033–52 प्रदर्श–12, प्रतिलिपि आवेदन पत्र दिनांक 29.01.2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–13 हैं। जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता, पुनः परीक्षण करवाकर जिरह प्रतिवादी बन्द की गई। दिनांक 24.06.2024 को ओर शहादत वादी पेश नहीं करना चाहने शहादत वादी बंद की गई। दिनांक 12.08.2024 को अधिवक्ता प्रतिवादी शहादत प्रतिवादी पेश करना नहीं चाहने से शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

वादस्थ कृषि भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को जरिये तहरीर लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2020/1076 दिनांक 03.11.2020 जरिये निवेदन किया कि सरहद मौजा शिवपुरा तह0 सोजत में स्थित पुराने ख0नं0 613 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा जिसके नये ख.नं. 1090 रकबा 1.70 है0 एवं ख. नं. 1090/1716 रकबा 2.06 है0 हैं। विवादित आराजी भूमि का मौका मुआवना किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

ख.नं. 1090 का खातेदार मांगीलाल, नेमाराम, वेनाराम पि0 भूराराम, पुकाराम पुत्र पन्नाराम कौम सीरवी सा0 देह खातेदार हैं एवं ख.नं. 1090/1716 में छोटी बेवा गफूर खां कौम मुसलमान (धोबी) सा0 देह खातेदार हैं। ख.नं. 1090 व 1090/1716 का नक्शे में तरमीम नहीं है। एक ही ख.नं. 1090 नक्शा अनुसार व मौकानुसार एवं आस पड़ौस के खातेदारों से पूछताछ करने पर मौजूद लोगों द्वारा बताया गया कि छोटी बेवा गफूर खां नाम की कोई औरत यहां न रहती थी, न ही वर्तमान में यहां पर निवास करती है और पूछने पर बताया गया कि उक्त ख.नं. 1090 व 1090/1716 पर कब्जा ख.नं. 1090 के खातेदारों का होना बताया गया हैं, पूर्व में भी उक्त भूमि पर 1090 के खातेदारों का कब्जा काश्त बताया गया हैं। आज की वर्तमान स्थिति में ख.नं. 1090 व 1090/1716 (तरमीम नहीं) में मौके पर काश्त हो रखी, जिसमें तिल व मूंग जिन्स की फसल बोई हुई है और दोनो ख.नं. के चारो तरफ खम्भे लगाकर तारबन्दी की हुई और मांगीलाल पुत्र भूराराम द्वारा काश्त की जा रही हैं, की रिपोर्ट पेश की। जो सा0मि0 हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस पेश की। अधिवक्ता वादी ने लिखित बहस के जरिये निवेदन किया कि वादी की ओर से खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि सरहद मौजा शिवपुरा की राजस्व सीमा में स्थित पुराना खसरा नंबर 613 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि वादी के पूर्वजों से खातेदारी हकूक एवं कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त खसरा नंबर 613 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा में 13 बीघा वादी के पूर्वज दादा स्वर्गीय पन्ना के नाम आवंटित हुई, जो जमाबंदी सम्वत् 2029 से 32 ई.एक्स.–1 से प्रमाणित है। शेष भूमि रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भी वादी के पूर्वज को नियमन हुई, जो खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2027 तथा 2029 ई.एक्स–8 तथा ई. एक्स–9 से प्रमाणित है। इस आवंटन तथा नियमन के आधार पर सम्वत् 2029 से 2032, की जमाबंदी ई.एक्स.–10 में स्पष्ट रूप से वादीगण के पूर्वज खातेदार पन्ना 613 की सम्पूर्ण कृषि भूमि वादी के पूर्वज की खातेदारी हुई। यह खसरा सं0 613 एक ही चक में स्थित थी, जो ट्रेस नक्शा प्रदर्श–2 से प्रमाणित हैं। वर्ष 2022 से 2030 में सोजत में सेटलमेन्ट ऑपरेशन था, चूंकि सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान उक्त भूमि सिवाय चक थी। जिसके नये नंबर 1090 रकबा 3.76 कायम हुआ। चूंकि सेटलमेन्ट ऑपरेशन दौरान ही उक्त कृषि भूमि वादी के पूर्वज के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी थी। अतः सेटलमेन्ट ऑपरेशन दौरान कायम खसरा पत्रक में नया नंबर 1090 का रकबा 3.76 हैक्टर किस्म अलावा जोत काबिल काश्त से पन्ना वल्द राईग कौम सिरवी खातेदार दर्ज हुआ। किसी की खातेदारी भूमि को बिना वैध विक्रय अथवा सक्षम न्यायालय के वैध आदेश डिक्री से बदलने का सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं रहता है। मगर चूंकि उस दौरान शिवपुरा आर.आई. सर्कल में भू–प्रबन्ध विभाग का भू–मापक (अमीन) काफी समय तक केम्प लगाकर रहा, उस दौरान मु. छोटी बेवा गफुर खां कौम धोबी मुसलमान उक्त अमीन के कपडे निशुल्क धोकर देती है, उसकी सेवा के प्रतिफल स्वरूप अमीन ने उसी खसरा पत्रक में पुनः काट छाट कर खसरा नंबर 1090 रकबा 2.06 हैक्टर सिवाय चक काबिल काश्त दर्शा कर कालम संख्या 25 में नोट ''भू आवंटन सम्वत् 2030 की क्रमांक लिस्ट 30 के अनुसार इन्द्राज किया'' दर्ज कर प्रतिवादीगण की माता मु.

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

छोटी बेवा गफुर मुसलमान का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया, जो पूर्णतः गलत था, छोटी के नाम सम्वत् 2030 में ऐसा कोई आवंटन नहीं हुआ, जैसा कि साथ संलग्न प्रदर्श–13 प्रमाणित प्रतिलिपि के पृष्ठ के पीछे माननीय न्यायालय के नियमन / आवंटन साखा के प्रभारी का यह नोट कि "कार्यालय में उपलब्ध आवंटन / नियमन रजिस्टर में क्र.सं. 30 पर छोटी का नाम अंकित नही है"। भू–प्रबन्ध विभाग के सर्वेयर अमीन द्वारा ऐसा इन्द्राज बिना सक्षम न्यायालय के आदेश डिक्री अथवा हस्तान्तरण के किया गया। कानुनन आवंटन के वर्ष ही आवंटी खातेदार नहीं बन सकता, वह काफी समय तक गैर खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज होता है। आवंटन बाद नियमित कब्जा काश्त के सत्यापन बाद ही उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। मगर तत्कालीन अमीन ने उसी वर्ष खसरा पत्रक में उसे खातेदार बना दिया, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा यह परिवर्तन इन्द्राज क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर विधि विरुद्ध ढंग से किया गया है। मु. छोटी का नाम खातेदारी में गलत इन्द्राज होने की आड़ में प्रतिवादीगण ने वादी के कब्जा काश्त में दखलदाजी की उसे अपनी खातेदारी बता बेदखल की चेतावनी दी, इस पर वादी से राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की, तब वास्तविकता की जानकारी हुई। चूंकि मु. छोटी सेटलमेन्ट समाप्ति के साथ ही शिवपुरा छोडकर जोधपुर चली गयी, वह वापस कभी शिवपुरा में नहीं देखी गयी, न प्रतिवादीगण आज तक कभी शिवपुरा में आये, मगर चुंकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी की खातेदारी वादस्थ भूमि में गलत परिवर्तन कर दिया गया, जिससे प्रतिवादीगण द्वारा विवाद पैदा करने पर वादी की ओर से खातेदारी अधिकारो की घोषणा तथा निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। चूंकि स्वर्गीय पन्ना वादी के दादा थे, जिनके दो पुत्र भुरा तथा पुखा थे। पुखा लाऔलाद फौत हो गये। अतः सम्पूर्ण भूमि का एकमात्र वैध खातेदार भूरा (वादी पिता) रहे, जिन्होने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त जायदाद के बंटवाडा में वादस्थ कृषि भूमि वादी के हिस्से में रखी, जिसे प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने अपने जवाब दावा में स्वीकार किया है। इस प्रकार सम्पूर्ण वादस्थ कृषि भूमि खसरा नंबर 1090 रकबा 3.76 हैक्टर बादी की खातेदारी हकुक कब्जा काश्त की है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 16.04.2010 को जवाब दावा प्रस्तुत किया, जिसमें वाद की अस्वीकृति के अतिरिक्त अपने खातेदार होने के प्रमाण स्वरूप कोई विशेष उज आधार या दस्तावेजिक सबुत प्रस्तुत नहीं किये। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से दिनांक 04.06.2009 को जवाब प्रस्तुत कर वादी वाद को स्वीकार किया गया। इस अधिवक्ता वादी ने वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। **अधिवक्ता वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में 2009–10(SUPP.) RRT पेज 143 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।**

दिनांक 12.08.2024 को अधिवक्ता प्रति सं0 01 व 02 द्वारा शहादत प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहने से शहादत प्रतिवादी बंद कर पत्रावली वास्ते बहस हेतु रखी गई, उसके उपरांत आज दिनांक तक अधिवक्ता प्रति सं0 01 व 02 द्वारा मौखिक/लिखित बहस प्रस्तुत करने में विफल रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अधिवक्ता वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन में पेश दस्तावेजी साक्ष्य समूह तथा तस्दीक शुदा शपथ पत्र पर लिये गये बयानात गवाहान पर की गई, जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी तथा प्रस्तुत जवाब दावा, अभिलेख में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कायम की गई तनकियात को निम्नांकित रूप से विवेचित किया जाता है–

01. आया वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के पूर्वजों के समय से बहैसियत खातेदार काश्तकार चली आ रही हैं।

(जिम्मे वादी)

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद में वर्णित तथ्यों के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2029–32 के अवलोकन से पुराना ख.नं. 613 रकबा 23/17 बीघा पुरातन पड़त थी, जिसके कॉलम सं0 13 से 16 में पन्ना पुत्र जाहिंग के नाम 13 बीघा आवंटित हुई, शेष 10/17 बीघा भूमि ही रही। प्रदर्श–2 से पुराना ख0नं0 613 तथा प्रदर्श–3 से पुराना ख.नं. 613 से बने नये खसरा नंबर 1090 के एक चक होना साबित होता हैं। प्रदर्श–11 खसरा गिरदावरी में शेष भूमि 10 बीघा 17 बिस्वा पर वादी पूर्वज पूखा पुत्र पन्ना सीरवी के नाम मी0नं0 270 दिनांक 19.04.1975 को नियमन का नोट अंकित हैं तथा सम्वत् 2021 से 2032 में वादी के पूर्वजो की फसल बाजरी, ज्वार का गिरदावरी में दर्शायी गई हैं। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका एवं रेकर्ड की रिपोर्ट में भी वादरथ सम्पूर्ण भूमि पर ख.नं. 1090 के खातेदारों के कब्जे काश्त की चारो तरफ से तारबंदी की गई तथा मांगीलाल पुत्र भूराराम के द्वारा तिल व मूंग जिंस की काश्त किया जाना अंकित किया गया हैं। गवाह बयानात पी0डब्ल्यू–2, 3, 4, 5 में भी गवाहों द्वारा वादस्थ भूमि पर वादी तथा वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त होना बताया हैं। जिससे वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के पूर्वजों की खातेदार काश्तकार की होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा तनकी सं0 01 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती हैं।

02. आया सरहद मौजा शिवपुरा में स्थित पुराने ख.नं. 613 रकबा 23/17 बीघा के नये ख.नं. 1090 रकबा 3.76 है0 किस्म बा0दो0 कायम हुये।

(जिम्मे वादी)

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श–5 खसरा पत्रक के अवलोकन से पुराने ख0नं0 613 रकबा 3.76 है0 से बने नये ख.नं. 1090 रकबा 3.76 है0 का रकबा भी समान हैं। इसके बाद की जमाबंदी सम्वत् 2063–2066 प्रदर्श–4 तथा 4ए में अंकित ख.नं. क्रमशः 1090 व 1090/1716 जिनका रकबा क्रमशः 1.70 है0 व 2.06 है0 का कुल रकबा 3.76 है0 बनता हैं। उक्तानुसार सरहद मौजा शिवपुरा में स्थित पुराने ख.नं. 613 रकबा 23/17 बीघा के नये ख.नं. 1090 रकबा 3.76 है0 कायम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा तनकी सं0 02 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी कायम की जाती हैं।

03. आया भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दौराने सैटलमेंट ख.नं. 1090 रकबा 3.76 है0 की गई कटौती एवं कायम अलग ख.नं. 1090/1716 रकबा 2.06 है0 विधि विरूद्ध हैं।

(जिम्मे वादी)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श–5 खसरा पत्रक में पुराना ख.नं. 613 के नये खसरा नंबर 1090 रकबा 3.7600 है0 में पुराने खसरा नंबर 613 के खातेदार पन्ना पुत्र जाहिंग सिरवी खातेदार होने का इन्द्राज किया हुआ हैं। प्रदर्श–6 के अनुसार बाद में ख. नं. 1090 का विभाजन कर 1090/1716 रकबा 2.06 है0 कायम किये गये। खसरा पत्रक में खसरा नंबर 1090 रकबा 2.06 हैक्टर सिवाय चक काबिल काश्त दर्शा कर कालम संख्या 25 में नोट "भू आवंटन सम्वत् 2030 की क्रमांक लिस्ट 30 के अनुसार इन्द्राज किया" दर्ज कर प्रतिवादीगण की माता मु. छोटी बेवा गफुर मुसलमान का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया, जो पूर्णतः गलत था, छोटी के नाम सम्वत् 2030 में ऐसा कोई आवंटन नहीं हुआ, जैसा कि साथ संलग्न प्रदर्श–13 प्रमाणित प्रतिलिपि के पृष्ठ के पीछे माननीय न्यायालय के नियमन / आवंटन साखा के प्रभारी का यह नोट कि "कार्यालय में उपलब्ध आवंटन / नियमन रजिस्टर में क्र.सं. 30 पर छोटी का नाम अंकित नही है"। भू–प्रवन्ध विभाग के सर्वेयर अमीन द्वारा ऐसा इन्द्राज बिना सक्षम न्यायालय के आदेश डिक्री अथवा हस्तान्तरण के किया गया। कानुनन आवंटन के वर्ष ही आवंटी खातेदार नहीं बन सकता, वह काफी समय तक गैर खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज होता है। आवंटन बाद नियमित कब्जा काश्त के सत्यापन बाद ही उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। मगर तत्कालीन अमीन ने उसी वर्ष खसरा पत्रक में उसे खातेदार बना दिया, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा यह परिवर्तन इन्द्राज क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर विधि विरुद्ध ढंग से किया गया है। लिहाजा तनकी सं0 3 बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती हैं।

04. आया वादी को प्रतिवादी सं0 1, 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार हैं।

(जिम्मे वादी)

वादी द्वारा इस विवादक के संदर्भ में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने से यह प्रमाणित है कि वादीगण का वादस्थ भूमि में नोशनल शेयर आता है। जो इस न्यायालय द्वारा पूर्व के विवादक से पुख्ता होते है जिसके संबंध में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द्ध किये जाने बाबत पुख्ता साक्ष्य पत्रावली में मौजूद है। जिसे अनुसार उक्त विवादक वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, जबाब दावा, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, प्रदर्शित दस्तावेजात, बयानात गवाहान का अध्ययन का बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी द्वारा अपने वाद में वर्णित तथ्यों के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2029–32 के अवलोकन से पुराना ख.नं. 613 रकबा 23/17 बीघा पुरातन पड़त थी, जिसके कॉलम सं0 13 से 16 में पन्ना पुत्र जाहिंग के नाम 13 बीघा आवंटित हुई, शेष 10/17 बीघा भूमि ही रही। प्रदर्श–2 से पुराना ख0नं0 613 तथा प्रदर्श–3 से पुराना ख.नं. 613 से बने नये खसरा नंबर 1090 के एक चक होना साबित होता हैं। प्रदर्श–11 खसरा गिरदावरी में शेष भूमि 10 बीघा 17 बिस्वा पर वादी पूर्वज पूखा पुत्र पन्ना सीरवी के नाम मी0नं0 270 दिनांक 19.04.1975 को नियमन का नोट अंकित हैं तथा सम्वत् 2021 से 2032 में वादी के पूर्वजो की फसल बाजरी, ज्वार का गिरदावरी में दर्शायी

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

गई हैं। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका एवं रेकर्ड की रिपोर्ट में भी वादग्रस्थ सम्पूर्ण भूमि पर ख.नं. 1090 के खातेदारों के कब्जे काश्त की चारो तरफ से तारबंदी की गई तथा मांगीलाल पुत्र भूराराम के द्वारा तिल व मूंग जिंस की काश्त किया जाना अंकित किया गया हैं। गवाह बयानात पी0डब्ल्यू–2, 3, 4, 5 में भी गवाहों द्वारा वादग्रस्थ भूमि पर वादी तथा वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त होना बताया हैं। जिससे वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के पूर्वजों की खातेदार काश्तकार की होने की संपुष्टि होती हैं। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को साक्ष्य सबुत व शहादत के जरिये साबित करने में विफल रहे है। प्रकरण में कायम की गई तनकीयात 01 से 04 भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की गई है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी आदि करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा शिवपुरा तहसील सोजत में स्थित पुराने ख.नं. 613 रकबा 23/17 बीघा जिसके नये नम्बर 1090 रकबा 1.70 है० एवं खसरा नम्बर 1090/1716 रकबा 2.06 है० कायम हुए है का वादी मांगीलाल पुत्र भूराराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के हक हिस्से में प्रतिवादीगण को दखल अन्दाजी आदि करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहे। तदानुसार तहसीलदार सोजत राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर सामिल मिसल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तक तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 06/03/2025 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड-अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

वादी :–

1. मांगीलाल पुत्र भूराराम जाति सिरवी निवासी शिवपुरा तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रूवान मोहम्मद पुत्र गफूर खां
2. जब्बार खां उर्फ अ0रमजान पुत्र गफूर खां जातिगण मुसलमान धोबी नि0 शिवपुरा
3. नेमाराम
4. वेनाराम पि0 भूराराम
5. पुखा पुत्र पन्ना जातिगण सीरवी निवासी शिवपुरा तह0 सोजत जिला पाली।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 19/2009

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री ताराचंद टांक अधिवक्ता वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक दावा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा शिवपुरा तहसील सोजत में स्थित पुराने ख.नं. 613 रकबा 23/17 बीघा जिसके नये नम्बर 1090 रकबा 1.70 है० एवं खसरा नम्बर 1090/1716 रकबा 2.06 है० कायम हुए है का वादी मांगीलाल पुत्र भूराराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के हक हिस्से में प्रतिवादीगण को दखल अन्दाजी आदि करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार, सोजत को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रतिलिपि भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 06/03/2025 को जारी किया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
वकालतनामा	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
महनताना वकील	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
पर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक		
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य			
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)